

प्रेषक,

संख्या - 1853 / 15-17-89-63[45] / 88

श्री सतगुरु गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
तेन्दुल बोर्ड आफ सेक्रेटरी स्कुलान,
2/19, लाल बिहार अंतारी रोड,
दीरगाना, नई दिल्ली।

विभागा अनुदान-17

तारिख: दिनांक / कुतुब, 1989

विषय:- रानी पीबल स्कूल, कुतुब, मुल्तानाहर को अनुदात प्रमाण पत्र
दिए जाने के संबंध में।

संदर्भ,

मुझे यह ज्ञेय कि निर्देश हुआ है कि रानी पीबल स्कूल, कुतुब,
मुल्तानाहर को तेन्दुल बोर्ड आफ सेक्रेटरी स्कुलान, नई दिल्ली से सम्बन्धित
प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों
के अधीन अनुदात नहीं है :-

कुल सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित
एक सदस्य होना।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े वर्ग
निर्दिष्ट आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहें तथा उनके उपर
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा/ धैरिक शिक्षा परीक्षा द्वारा संपादित
विद्यार्थियों में विभिन्न जातों के लिए निर्धारित शूल से ओटा
शूल नहीं लिया जाएगा।
- 3- इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएं प्राधिकृत होंगे। संस्था के
शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कार्यारियों को राजकीय तलाकताप्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कार्यारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य
भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्मित
दिए जाएंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोट का रखा
जायगा।

10] विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विधानसभ की प्रबन्ध समिति रिजल्ट्स होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उत्तर नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
- 2- विधानसभ में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विभाग कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें तत्कालप्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा-निश्चितता लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विधानसभ का वेजा-बोजा निर्धारित प्रश्नों/वीजजनों में रखा जायेगा ।

2- उत्तर शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उत्तर शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। सहायक मंत्री ।
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1853 11/15-17-89-सदरिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपचार्य प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उज्जैन, इलाहाबाद ।
- 2- अधीन एवं शिक्षा निदेशक, धर्म मण्डल, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विधानसभ निरीक्षक, कुतुबवाड़ा ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विधानसभ, उज्जैन, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, स्वामी पीठाधिकार, विद्यार्थ, कुतुबवाड़ा ।

आज्ञा है,

। सहायक मंत्री ।
संयुक्त सचिव।

2